


## प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

<p>18 राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशेष टिप्पणी की जाए)</p>	<p>18 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर पन्ना जिले में मङ्गा से ऐपुरा ल्हाया फतेहपुर-बधवारकला मार्ग एवं धाट सेक्षन निर्माण हेतु 1.90 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, पन्ना को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।</p>
--	---

दिनांक: 13.06.2023  
स्थान: भोपाल

  
 (अशोक कुमार)  
 अपर सचिव  
 म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संल्या  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)